Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding closure of Jute Mills in West Bengal.

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त भारत का जो आह्ववान किया है, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा ।

महोदय, हमारे पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री थी । एक समय पश्चिम बंगाल को जूट उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि वर्ष 1992-93 में एक कानून लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल जमीन ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन जब से ... * की सरकार आई है, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल जमीन का कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है, subject to approval.

महोदय, 66 परसेंट जमीन बेची जा रही है और कहा जा रहा है कि 33 परसेंट जमीन बंगाल में कहीं भी दे दो, उससे काम चल जाएगा । वह जमीन नहीं मिलती है । इसमें बड़ी व्यापक धांधली चल रही है ।आज जूट मिलों की हालत यह है कि श्रीरामपुर के एमपी बहुत मुखर होते हैं । इनके क्षेत्र में बहुत दिनों से तीन कारखाने बंद हैं । सरकार उन कारखानों की जमीनें बेच रही है । पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की सात जूट मिलें थीं, जिनमें से तीन जूट मिलें मेरे क्षेत्र में हैं । मैं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा कि उन जूट मिलों का ऑक्शन कर के यदि जूट मिलें चालू हो जाएं तो श्रमिकों का भला होगा । आज पूरी दुनिया में जूट के कपड़ों की जरूरत है । इससे पूरी दुनिया में भारत के प्रधान मंत्री का जो मैसेज जाएगा, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा । धन्यवाद ।